न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 155/2012

वादी बनाम प्रतिवादी

1. मानदान पुत्र गुमानदान
जाति–राव, निवासी–लाम्बिया
तहसील–जैतारण जिला–पाली

1. गिरधारीदान पुत्र दुर्गादान
2. भूरदान पुत्र अम्बादान
3. छोटी पत्नि रामा
4. राजू पुत्र रामा
5. कल्याण पुत्र रामा
6. मीरा पत्नि काना
7. नरसिंग पुत्र बालूदान
8. रेवतदान पुत्र गुमानदान
जातियान–राव, निवासी–लाम्बिया
तहसील–जैतारण जिला–पाली
9. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार जैतारण
तहसील–जैतारण जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजूः.27/08/2012

उपस्थितः.

1. श्री हरिओम पारीक, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 19/03/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–लाम्बिया, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर 996 रकबा 65–16 बीघा किस्म बा0दो0 की आई हुई हैं। जिसमे वादी रिकॉर्डड खातेदार हैं। मौके पर वादी का कब्जा काश्त हैं। जमाबन्दी नकल सम्वत् 2061 से 2064 की प्रमाणित प्रति व म्यूटेशन नकल सम्वत् 2028 से 2031 की जमाबन्दी साथ पेश की हैं, जो दावे का एक भाग माना जावें। उक्त वर्णित कृषि भूमि को मुतदाविया आराजी से सम्बोधित किया गया हैं। उक्त मतुदाविया आराजी में नामान्तरकरण संख्या 663 के दिनांक 22/04/75 को वादी के पिता गुमान राव साकिन–लाम्बिया के नाम से अमल दरामद किया गया। जबकि इस म्यूटेशन में मांगीलाल के स्थान पर मानदान राव तत्कालीन पटवारी चिमनाराम ने उक्त म्यूटेशन संख्या 663 में वादी का नाम सहवन से मानदान के स्थान पर मांगीलाल दर्ज कर दिया हैं, जो गलत एवं दुरूस्त किये जाने योग्य हैं। वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण व उनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट किसी प्रकार की दखलन्दाजी व दस्तन्दाजी नहीं करें, जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा–हमेशा के वास्ते रोका जावें। बिनायवाद दिनांक 25/07/2012 को वादी ने अपने स्वयं की खातेदारी पर सहकारी बैंक से ऋण लेने हेतु गया, तो पटवारी ने उक्त खाता मांगीलाल के नाम सहवन से दर्ज होना बताया। तब बमुकाम–लाम्बिया, तहसील–जैतारण में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद अदालत बाला के पेश किया हैं।

इस प्रकार वकील वादी ने वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का गलत दर्ज नाम मांगीलाल पुत्र गुमानदान के स्थान पर मानदान पुत्र गुमानदान दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

ईश्तदुआ की हैं। इस पर वकील वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 29/11/2012 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण की ओर से सरकारी पैरोकार ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि साक्ष्य सबूत के दस्तावेजात अनुसार वादी का नाम दुरूस्त किये जाने में कोई आपति नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 9 के कथन से सहमत हैं। वादी ने साक्ष्य सबूत बतौर राशन कार्ड संख्या 57 दिनांक 06/05/2010, चुनाव फोटो पहचान पत्र संख्या RJ/21/159/378118 दिनांक 08/08/2008 एवं सरपंच का प्रमाण पत्र दिनांक 04/02/2014 व आधार कार्ड संख्या 445880141305 एवं आयकर कार्ड संख्या BORPD1859L पेश किये। वादी के गलत दर्ज नाम मांगीलाल पुत्र गुमानदान के स्थान पर मानदान पुत्र गुमानदान सही नाम दर्ज करना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–लाम्बिया, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर 996 रकबा 65–16 बीघा किस्म बा0दो0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड गलत दर्ज नाम मांगीलाल पुत्र गुमानदान के स्थान पर मानदान पुत्र गुमानदान दुरूस्त रूप से दर्ज किया जाने के तहसीलदार, जैतारण को आदेश किये जाते हैं। वादी मानदान पुत्र गुमानदान को उक्त भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 19/03/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 109/2013

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. मानदान पुत्र गुमानदान जाति-राव, निवासी-लाम्बिया तहसील-जैतारण जिला-पाली		1. गिरधारीदान पुत्र दुर्गादान 2. भूरदान पुत्र अम्बादान 3. छोटी पत्नि रामा 4. राजू पुत्र रामा 5. कल्याण पुत्र रामा 6. मीरा पत्नि काना 7. नरसिंग पुत्र बालूदान 8. रेवतदान पुत्र गुमानदान जातियान-राव, निवासी-लाम्बिया तहसील-जैतारण जिला-पाली 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — मु0न0 :रा0वा0स0:155/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-.... व हाजरी श्री हरिओम पारीक, अधिवक्ता, वादी मुद्धई व मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 996 रकबा 65-16 बीघा किस्म बा0दो0 के वर्तमान राजस्व रेकर्ड गलत दर्ज नाम मांगीलाल पुत्र गुमानदान के स्थान पर मानदान पुत्र गुमानदान दुरूस्त रूप से दर्ज किया जाने के तहसीलदार, जैतारण को आदेश किये जाते हैं। वादी मानदान पुत्र गुमानदान को उक्त भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 19.03.2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	03-00	महनताना वकील	
महनताना वकील	- -	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	04-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	- -	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	10-00	मिजानः-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner